सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 410 राँची, बुधवार,	11 ज्येष्ठ, 1938 (श०) **1** जून, 2016 (ई०)	

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

25 मई, 2016

विषयः- राज्य के प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में भू-सम्पदा पंजी (Estate register) संधारित करने तथा भू - सम्पदा पदाधिकारी घोषित करने के संबंध में ।

संख्या- 5/न॰वि॰/विविध (भू॰ सम्पदा) 45/2016-2853--झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 131 में यह वर्णित है कि "नगरपालिका की समस्त अचल सम्पत्तियों, जिसकी नगरपालिका स्वामी है या वह उसमें निहित है अथवा जो उसे सरकार से न्यास के रूप में प्राप्त है, का एक रजिस्टर एवं नक्शा संधारित करेगी"।

2. विभागीय स्तर पर समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों की अचल सम्पत्ति की देख-रेख एवं सुरक्षा करने हेतु कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, जिसके फलस्वरूप जहाँ एक ओर ऐसी अचल सम्पत्तियों के अतिक्रमण की संभावनाएँ बनी रहती हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी अचल सम्पत्तियों की जानकारी के अभाव में जनोपयोगी योजनाओं को कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। इसके अलावा, ऐसी अचल सम्पत्तियों से संबंधित शहरी स्थानीय निकाय को जानकारी के अभाव में कोई खास राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हो पाती है।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि राज्य के प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में भू-सम्पदा पंजी (Estate register) संधारित किया जाए ताकि संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर किसी योग्य पदाधिकारी को ''भू-सम्पदा पदाधिकारी'' के रूप में नामित किया जाए, जिनका यह दायित्व होगा कि भू-सम्पदा पंजी अद्यतन रूप में संधारित रहे तथा उक्त निकाय की किसी भी भू-सम्पदा पर अनाधिकृत एवं अवैध कब्जा न होने पाए एवं समस्त भू-सम्पदाएँ अतिक्रमण मुक्त रहें।

4. उपर्युक्त क्रम में निदेश दिया जाता है कि दिनांक-15.06.2016 तक प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में संलग्न प्रपत्र में ''भू-सम्पदा पंजी'' का संधारण किया जाए। साथ में, प्रसंगाधीन भूमि का नक्शा भी संधारित किया जाए।

भू-सम्पदा पंजी में की गई प्रविष्टियों को कम्प्यूटर में भी संधारित किया जाए ताकि आवश्यकतानुसार ऐसी सूचनाओं का उपयोग किया जा सके।

5. प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा उक्त शहरी स्थानीय निकाय की समस्त अचल सम्पत्ति की वार्षिक विवरणी नगरीय प्रशासन निदेशालय में समर्पित की जाएगी, जहाँ उसे विधिवत संधारित किया जाएगा।

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

अचल सम्पत्ति का प्रपत्र

क्रमांक	अचल सम्पत्ति (नाम)	अचल सम्पत्ति की अवस्थिति (पता)	अचल सम्पत्ति की विवरणी					वर्त्तमान उपयोग	दखल कब्जा की स्थिति	अभ्युक्ति
			खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी	प्रकृति			

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 410—50 ।